117

कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

पत्रांक :– 9571 /बु0वि0प्रा0/2016–17 दिनांक 16-12-2016

सेवा में,

मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्शॉ0),
115 अंसल भवन, 16 के0जी0 मार्ग,
नई दिल्ली– 110001

विषयः– मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सोर्शियम) द्वारा प्रस्तुत संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 को प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.11.2016 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति के समक्ष संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 पर दिनांक 15.12.16 को विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया :–

- हाईटैक टाउनशिप नीति की अपेक्षानुसार विकास एवं निर्माण कार्य करने की फेजिंग तथा प्रत्येक चरण के कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण किये जाने का टाईम–शिड्यूल संलग्न नहीं किया गया है, जो किया जाना चाहिए ।
- मास्टर प्लान में प्रस्तावित महायोजना क्षेत्रीय पार्क/मनोरंजन चूँकि कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 के अनुमोदित क्षेत्रफल का भाग है, अतः हाईटैक टाउनशिप नीति की अपेक्षानुसार विकासकर्ता द्वारा इसका विकास सुनिश्चित कराया जायेगा।
- टाउनशिप के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षानुसार प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर एक जोनल क्रीड़ा केन्द्र, प्रत्येक 15,000 जनसंख्या पर एक नेबरहुड क्रीड़ा केन्द्र तथा प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक आवासीय इकाईयों में क्रीड़ा केन्द्र को प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल के अन्तर्गत अंकित किया जाना चाहिए।
- एन0जी0टी0 में विचाराधीन वाद के अनुसार निर्णय आने तक हाईटैक टाउनशिप के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र को यथावत आरक्षित करना होगा।
- योजनान्तर्गत पब्लिक गोल्फ कोर्स सभी स्थानीय निवासियों/रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसियेशन हेतु उपयोग किया जायेगा। यह भूमि किसी को विक्रय नहीं की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 वर्गों के लिए आवासीय सुविधा सम्बन्धी प्राविधान सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना होगा।
- टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण आबादियों के लिए शासनादेश सं0 2157/8–1–11–184विविध /2010 दिनांक 22.07.11 का अनुपालन करना होगा ।

आवासीय योजनाओं में सार्वजनिक शौचालय, सिटी बस स्टाप, पैदल यात्रियों के लिए अंडर पास/फुट ओवर ब्रिज, वैन्डिग जोन, सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट, ट्रान्सफर स्टेशन, सैनेटरी लैण्डफिल साईट आदि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 10/2730/8–1–14–129विविध/2012 दिनांक 24.09.14 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्राविधान करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः– 1. संशोधित कन्सैप्चुअल डी0पी0आर0 की प्रति (पृष्ठ नं0 01 से 116 तक)।
2. डी0पी0आर0 अनुमोदन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15.12.16 का कार्यवृत।

भवदीय

उपाध्यक्ष
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर